न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 52/2025
जीसीएमएस संख्या – 2025/228

अपीलान्ट :–

राकेश पुत्र स्व. श्री कनीराम उर्फ कानाराम उम्र 27 वर्ष, जाति सरगरा, निवासी सरगरों का बास, काकेलाव, तहसील कुडी भगतासनी, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. पिस्ता पत्नी स्व. श्री कनीराम उर्फ कानाराम।
2. श्रवणराम पुत्र स्व. श्री कनीराम उर्फ कानाराम
3. मुकेश पुत्र स्व. श्री कनीराम उर्फ कानाराम
4. कंचन पुत्री स्व. श्री कनीराम उर्फ कानाराम
5. इन्द्रा पुत्री स्व. श्री कनीराम उर्फ कानाराम
   सभी जातियान सरगरा, निवासी सरगरों का बास, काकेलाव, तहसील कुडी भगतासनी, जोधपुर
6. तहसीलदार, तहसील कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2142 दिनांक 22.06.2018 तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह, श्री पी.आर. प्रजापत (अपीलान्ट की ओर से)।
2. अधिवक्ता अनिल कुमार प्रजापत (रेस्पो0 संख्या 01 से 05 की ओर से)।

निर्णय **दिनांक : 26.05.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम कांकेलाव, तहसील कुडी भगतासनी के नामांतरकरण सं. 2142 पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, द्वितीय, जोधपुर ... 24.10.2024 को पेश हुई है, जहां से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय ... प्राप्त होने पर दिनांक 22.01.2025 को रजिस्टर की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:52 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 5 तक की ओर से श्री अनिल कुमार प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया।
3. अपील मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कांकेलाव (हाल तहसील कुडी भगतासनी), तहसील, जोधपुर का ख.नं. 1028 रकबा 14–19 बीघा, ख.नं. 1030 रकबा 16–08 बीघा कुल 31–07 बीघा भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 01 से 05 तक के पिता श्री कनीराम उर्फ कानाराम पि. भपीया व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। श्री कनीराम के फौत होने से अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 2142 से सिर्फ प्रत्यर्थी सं. 01 से 05 तक के नाम ही दर्ज किये गये तथा अपीलार्थी राकेश भी श्री कनीराम उर्फ कानाराम जी का जायंदा पुत्र है तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अनुसूची में प्रथम वर्ग का श्री कानाराम उर्फ कनीराम जी का उत्तराधिकारी, प्रत्यर्थी सं. 01 से 05 तक के समान है। उक्त नामांतरकरण दर्ज करते समय अपीलाधीन नामांतरकरण की परत के पीछे पटवारी ने जांच करके कनीराम उर्फ मानाराम की वंशावली अंकित की है, जिसमें अपीलांट को कनीराम का पुत्र अंकित किया है, परंतु नामांतरकरण दर्ज करते समय अपीलांट का नाम भूलवश छूट गया है जो एक तकनीकी त्रुटि है तथा नामांतरकरण स्वीकृत करते समय अपीलांट को सुना ही नहीं गया। कुछ दिन पहले अपीलांट पटवारी काकेलाव के पास केसीसी बनाने हेतु गया, तब जानकारी हुई कि उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलांट ने दिनांक 24.09.2024 को नकल प्राप्त की तथा कानूनी सलाह प्राप्त कर यह अपील पेश की जा रही है, जिसे अंदर म्याद मान कर, स्वीकार की जावे। अपील के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र सशपथ पेश किया है।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट कनीराम का जायंदा पुत्र है। अपीलाधीन नामांतरकरण फौतेदगी पर उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने हेतु स्वीकृत किया [illegible] छूट गया है। नामांतरकरण की परत के पीछे प्रमाणित व[illegible] अपीलांट का नाम है। अतः अपील स्वीकार कर अ[illegible] रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।
6. प्रत्यर्थी गण सं. 01 से 05 की ओर से श्री अनिल कुमार प्रजापत, विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अपीलांट पुत्र कानाराम जी उर्फ कनीराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:52 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रत्यर्थी सं. 01 से 05 तक का सगा भाई है। अपीलाधीन नामांतरकरण दर्ज करते समय अपीलांट का नाम छूट गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जावे तथा अपीलांट का नाम प्रत्यर्थीगण सं. 01 से 05 तक के साथ दर्ज किया जावे। प्रत्यर्थीगण की पूर्ण सहमति है। कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अध्ययन किया तथा उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों पर मनन किया तथा विधिक प्रावधानों का परिशीलन कियाः–

a)अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 2142 ग्राम कांकेलाव अनुसार ख.नं. 1028 व 1030 खातेदार सुखाराम, भपीया पुत्र जीया के नाम दर्ज है। भपीया दिनांक 02.02.98 को फौत हुआ तथा कनीराम उर्फ कानाराम को भी दिनांक 30.05.2015 को फौत होना बताकर नामांतरकरण सं. 2142 दिनांक 21.06.2018 को दर्ज किया है तथा कानाराम उर्फ कनीराम को भपीया का पुत्र बताया है। कानाराम उर्फ कनीराम के वारिशों में पत्नी पिस्ता, श्रवणराम, मुकेश–पुत्र तथा इन्द्रा, कंचन पुत्रियों के नाम दर्ज किये है, जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज नहीं है। अपीलांट स्वयं को कनीराम का पुत्र बताता है जिसे प्रत्यर्थीगण सं. 01 से 05 तक के अधिवक्ता ने दौराने बहस स्वीकार किया है। अपीलांट ने अपने नाम से जारी राशन कार्ड, मतदान फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक की पास बुक की फोटोप्रतियां पेश की है। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां पेश की है जिसमें अपीलांट के पिता का नाम कनीराम अंकित है।

b)अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 2142 श्री कनीराम के निधन होने पर उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने हेतु खोला गया है। अपीलांट कनीराम का प्रथम श्रेणी का वारिसान है तथा प्रत्यर्थीगण 01 से 05 तक के साथ बराबर हिस्सा कनीराम की उपरोक्त विवरण की भूमि में से प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण दिनांक 22.06.2018 एकतरफा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट अनुसार उसे दिनांक 24.09.2024 को होने से अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं परिस्थितियों को परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करना न्यायहित में है। अतः प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पत्र स्वीकार किया जाकर देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाता है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार व प्रत्यर्थीगण की ओर से मौखिक रूप से प्रकट सहमति के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

9. ग्राम काकेलाव, तहसील जोधपुर (हाल कुडी भगतासनी) का नामांतरकरण सं. 2142 पर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट राकेश पुत्र कनीराम का नाम, कनीराम के अन्य वारिसान के साथ दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुडी भगतासनी, उक्तानुसार जरिये नामांतरकरण राजस्व अभिलेखों में अपीलांट का नाम दर्ज करे।

10. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, कुडी भगतासनी को लौटाया जावे।

11. पत्रावली बाद तामिल एवं तक्मील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:52 IST
Reason: SelfAttested